अति आवश्यक
पंचायत चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
"निर्वाचन सदन" प्लाट नं0 2, सैक्टर 17, पंचकूला

क्रमांक रा0नि0आ0/एस0ए0/2010/1344-1364 दिनांक 21.04.2010

सेवा में
सभी उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
हरियाणा राज्य।

विषय :- चतुर्थ पंचायत आम चुनाव, 2010 में मतपत्रों के प्रयोग एवं छपवाई बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको यह कहने का निर्देश हुआ है कि चतुर्थ पंचायत आम चुनाव निकट भविष्य में होने प्रस्तावित है तथा आयोग द्वारा सरपंच पद का चुनाव ई0वी0एम0 से करवाये जाने बारे निर्णय लिया गया है। आयोग द्वारा ई0वी0एम0 में प्रयोग हेतु तथा टैंडर वोट (Tender Vote) हेतु मतपत्र अग्रिम रूप से छपवा लिये गये हैं जिनमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम उनको दिए गए प्रतीक के समक्ष तथा ग्राम पंचायत का नाम, वर्ष एवं जिला का नाम हाथ से हिंदी भाषा में लिखा जाना है।

2. सरपंच पद के चुनाव हेतु प्रत्येक बूथ के लिए ई0वी0एम0 हेतु दो मतपत्र एवं टैंडर वोट हेतु 10 मतपत्र दिए जाने हैं जिनमें सभी रिक्तियां हाथ से हिंदी भाषा में भरी जानी हैं तथा इन रिक्तियों को भरने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/बूथ के पीठासीन अधिकारी को स्पष्ट रूप से हिदायतें ट्रैनिंग के दौरान दे दी जाएं।

3. पीठासीन अधिकारी को मतपत्रों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम इत्यादि भरने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम 32 के तहत तैयार किए गए फार्म नं0 7 की प्रति उपलब्ध करवाई जाए तथा इस फार्म में दिए गए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम ही पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्रों में दिए गए प्रतीक के समक्ष भरे जाने हैं तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए।

4. आयोग द्वारा ई0वी0एम0 एवं टैंडर वोट हेतु मतपत्र दो प्रतीक से 24 प्रतीक तक छपवाये गये है, अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या अनुसार उतने ही प्रतीक का मतपत्र उस ग्राम पंचायत के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध करवाए जाएं तथा अगर सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 24 से अधिक होते है तो इस स्थिति में मतपत्र उम्मीदवारों की नाम वापिसी के बाद हरियाणा सरकार की प्रेसों से छपवाये जाएगें जिस हेतु आप पूरे जिला की ऐसी पंचायतों के चुनाव हेतु मतपत्र आयोग के माध्यम से हरियाणा सरकार की प्रैसों से छपवाने सुनिश्चित करेंगे।

5. ई0वी0एम0 एवं टैंडर वोट हेतु अग्रिम रूप से छपवाए गए मतपत्र प्रत्येक जिला को अन्य चुनाव सामग्री के साथ ही आयोग के स्टोर से उपलब्ध करवाये जायेंगे जिन्हें आप आयोग के स्टोर से ले जाने हेतु एवं उनके रख रखाबकी उचित व्यवस्था पहले ही कर लें।

6. सदस्य ग्राम पंचायत (पंच), पंचायत समिति एवं जिला परिषद का चुनाव मतपत्र द्वारा करवाया जाना है जिस हेतु मतपत्र चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम व प्रतीक सहित, नामांकन पत्रों की वापिसी की तिथि के उपरांत छपवाये जाने हैं जिस बारे प्रैसों के नाम व स्थान बारे आपको अलग से सूचित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

हस्ता0/-
(राजेश्वर कुमार)
अधीक्षक/पंचायत
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\surinder14.4.10.doc